मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / क्रियाशील–अक्रियाशील / 267 भोपाल दिनांक 13 / 12 / 2021

प्रति

सचिव (समस्त)
कृषि उपज मंडी समिति,
..........................जिला......................

विषयः– अक्रियाशील मंडी प्रांगणों में क्रय–विक्रय प्रारंभ करने के संबंध में।

म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 के तहत इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबंधो के सिवाय मंडी क्षेत्र में से किसी स्थान को अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिये उपयोग में नहीं लाये जाने का प्रावधान है, परन्तु यह देखने में आया है कि कतिपय मंडी क्षेत्रों में कृषि उपज का पर्याप्त उत्पादन और अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के होने के बावजूद मंडी प्रांगणों और उपमंडी प्रांगणों में कृषि उपज का क्रय–विक्रय नहीं हो रहा है। किसानों / विक्रेताओं को कृषि उपज का प्रतियोगितात्मक विक्रय मूल्य, इलेक्ट्रॉनिक तौल और तुरंत भुगतान की सुविधा मंडी प्रांगण में प्राप्त होती है जहॉ पर कृषि विपणन संबंधी गतिविधियॉ मंडी के नियंत्रण के अधीन संचालित होती हैं। मंडी समितियों में कृषि उपज विपणन के लिये व्यापारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है जिसके तहत उनके द्वारा संबंधित मूल मंडी प्रांगण एवं उपमंडी प्रांगण में व्यवसाय किया जा सकता है।

अतः मंडी सचिवों को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीनस्थ अक्रियाशील मंडी प्रांगणों में तत्काल प्रभाव से मंडी कर्मचारियों की डियूटी लगाई जाये। सभी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक मंडी कर्मी और अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी / प्रतिनिधि मंडी प्रांगण अक्रियाशील होने पर भी वहॉ अनिवार्य रूप से उपस्थिति रहेंगे और प्रांगण में कृषि उपज की आवक होने पर उसका निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विक्रय, तौल और भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था की मंडी स्तर से समस्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को जानकारी प्रदाय कर पालन सुनिश्चित करायें। उक्त कार्य में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा सहयोग नहीं करने पर उनके विरूद्ध मंडी अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाये। मंडी क्षेत्र में स्थानीय कृषकों / विक्रेताओं को अक्रियाशील प्रांगणों में कृषि उपज के विक्रय, तौल और भुगतान की सुविधा उपलब्ध होने बाबत् व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसान संघो के माध्यम से भी किसानों को मंडी प्रांगण में कृषि उपज लाने हेतु प्रोत्साहित करें। मंडी क्षेत्र में सीधी / प्रतिष्ठानों पर खरीदी (सौदा पत्रक को छोडकर) को प्रतिबंधित करने के लिये अभियान चलाया जाये।

अक्रियाशील मंडी को क्रियाशील करने के लिये उपरोक्त व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव से लागू करने का उत्तरदायित्व संबंधित मंडी सचिव का होगा और इसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा ऑचलिक अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करते हुये 15 दिवस में संभाग की मंडियों का संकलित पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / कियाशील–अकियाशील / 268 भोपाल दिनांक 13 / 12 / 2021

प्रतिलिपि :–

1/ अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।

2/ अपर संचालक / संयुक्त संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3/ उप / संयुक्त संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, ...

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल